. फैक्स

संख्या:4820 आर/छ:पु-5-1998

प्रेषक,

अतुल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त जिलामजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 9 नवम्बर, 1998

विषय: शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंस प्रपत्र -11 में मरम्मत कार्य के लिये अनुभव प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंस प्रपत्र-11 की लाइसेंस की स्वीकृत हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ शस्त्र मरम्मत कार्य के लिये अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है। शासन को भेजे जाने वाले व्यवसायिक लाइसेंसों के प्रस्तावों के साथ अनुभव प्रमाणपत्र जिला मजिस्ट्रेट अथवा प्रभारी शस्त्र के हस्ताक्षर से उक्त प्रारूप पर ही भेजा जाये। उक्त निर्देशों का कृपया कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्त

भवदीय,

(अतुल कुमार)
संयुक्त सचिव।

शस्त्र मरम्मत हेतु कारीगर के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र।

श्री...पुत्र श्री.......................
.....................स्थाई निवासी...
......को समस्त श्रेणी के आग्नेयास्त्रों की मरम्मत का अनुभव है और वह इस कार्य में दक्ष है। इन्हें इस संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र शस्त्र व्यवसायी श्री ....जनपद.......................... द्वारा प्रदान किया गया है, जिसकी प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न है। कारीगर श्री ....के संबंध में पुलिस द्वारा जांच करायी गयी है और इनका कोई अपराधिक इतिहास नही पाया गया है। पुलिस रिर्पार्ट की फोटो प्रति (प्रमाणित) संलग्न है।

कारीगर के पास कोई व्यवसायिक लाइसेंस होने तथा किसी अन्य शस्त्र व्यवसायी के यहाँ कारीगर के रूप में कार्य करने का विवरण संबंधित कारीगर से एक शपथ पत्र के रूप में प्राप्त किया गया है, जिसे जॉचोपरान्त प्रथम दृष्टया ठीक पाया गया है। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की जा रही है।

उपरोक्त के आधार पर श्री ....को शस्त्र मरम्मत करने हेतु संस्तति किया जाता है।

दिनांक

जिला मजिस्ट्रेट
जनपद..................